संख्या-92/2015/2895/26-3-2015-875/2015

प्रेषक

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 02 सितम्बर 2015

विषयः- रिट याचिका संख्या-6263(एम.एस)/2014 मनीष कुमार गौर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-26.09.2014 के अनुपालन में वर्ष 2013-14 की अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपया-1,72,830.00/- के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-176/ज.जा.वि./दशमो.छात्रवृत्ति/15-16, दिनांक-25.08.2015 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वर्ष 2013-14 की याची छात्रों की बी.एड पाठ्यक्रम की अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपये-1,72,830.00 (रूपये एक लाख बहत्तर हजार आठ सौ तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-81 के योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ.संख्या-92/2015/2895(1)/26-3-2014 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6. गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in